II/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/01533

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्रमांक- /2017

महेश सिंह पुत्र स्व. श्री बाबू सिंह तोमर, निवासी-रायचन्द का पुरा, मौजा रजौदा, तहसील पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.)

---आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना ---अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता द्वारा पारित आदेश दिनांक-19.04.2017 अपील प्रकरण क्रमांक-191/2016-17 जिसके द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रार्थी की अपील निरस्त कर दी गई है के आदेश के विरुद्ध

श्रीमानजी,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. यह कि नायब तहसीलदार के समक्ष पटवारी हल्का नं. 33 द्वारा आवेदक के विरुद्ध भूमि खसरा क्रमांक-2828 रकवा 0.015 अतिक्रमण करने बावत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से तहसीलदार पोरसा द्वारा आवेदक को प्रकरण में कोई सूचना पत्र दिये बिना ही पारित आदेश दिनांक-7/12/15 को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत ग्राम रजौदा की भूमि खसरा क्रमांक-2826 रकवा 0.015 से निष्कासित किये जाने एवं 5000/- रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित कर सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित की।
2. यह कि तहसीलदार के समक्ष पटवारी हल्का नं. 33 द्वारा आवेदक के विरुद्ध भूमि खसरा क्रमांक-2826 रकवा 0.015 में अतिक्रमण करने बावत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

II / निगरानी / मुरैना / भू0रा0 / 2017 / 1533

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-7-2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा आदेश की जानकारी होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के समक्ष लगभग 1 वर्ष 2 माह विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी। अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में दिन प्रतिवदिन विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने से अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील समयबाधित मानते हुये अग्राह्य की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि प्रकट नहीं होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	